an>

Title: Regarding double benefits after religious conversion.

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं देश भर और विशेषकर झारखंड में एक ऐसी समस्या पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और गृह मंत्रालय से मांग करता हूं।

देश भर में धर्मांतरण के कार्यक्रम चलते हैं। लोग अपने सप्रदाय से दूसरे सप्रदाय में धर्मान्तरित होते हैं। उस पर किसी प्रकार की रोक की बात नहीं है। एक समस्या आती है, धर्मांतरित लोग, जो एससी/एसटी या दलित वर्ग या आदिवासी समाज के लोग ईसाई समुदाय में धर्मांतरित होते हैं या दूसरे समुदाय में धर्मान्तरित होते हैं। उनको आदिवासी और अल्पसंख्यक होने का दोहरा लाभ मिलता है। इसी सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री कार्तिक उरांव जी संसद के सदस्य हुआ करते थे। उन्होंने प्राइवेट बिल लाकर इस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन तब उस प्राइवेट बिल को कांग्रेस के शासन काल में लौटाया गया था और उसे अभी तक जारी रखा गया है।

आज झारखंड में आंदोलन चल रहा है, सरना धर्मावलम्बियों के सामने यह समस्या है। सरना धर्मावलम्बियों का आंदोलन है कि उन्हें कोई एक लाभ मिले, वे सरना में रहते हैं तो सरना आदिवासी का लाभ मिले या धर्म परिवर्तन करते हैं तो अल्पसंख्यक का लाभ मिले लेकिन उनको दोनों लाभ मिल रहा है, इस पर सरकार लगाए या इस पर विधेयक लाए और कानून बनाकर इस पर रोक लगाए। आज देश में अराजक स्थिति पैदा हो रही है उसको रोकने का काम करें।

धन्यवाद, वन्देमातरम।

HON. CHAIRPERSON:

Shri Bhairon Prasad Mishra,

Shri Sunil Kumar Singh,

Shri Pashupati Nath Singh,

Shri Laxman Giluwa,

Shri Rameshwar Teli and

Shri Harish Chandra Meena are permitted to associate with the issue raised by Shri Ravindra Kumar Ray.